

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302001)  
Telefax:0141-2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: पीआर/डीएलबी/विजन डॉक्यूमेंट/2023/9328-9619 दिनांक : 11/9/2023

1. आयुक्त, विकास प्राधिकारण, जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर
2. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान
3. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाए, समस्त राजस्थान।

विषय:- राजस्थान-मिशन 2030 के संबंध में समीक्षात्मक बैठक (विडियो कांफ्रेंसिंग)।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान-मिशन 2030 के संबंध में एक समीक्षात्मक बैठक (विडियो कांफ्रेंसिंग) दिनांक 06.09.2023 को प्रातः 10:00 बजे प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी। उक्त विडियो कांफ्रेंसिंग में जिले के समस्त नोडल अधिकारी संलग्न Annexure-I में उल्लेखित सूचनाओं सहित पूरी तैयार के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। समस्त नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी एवं विकास प्राधिकरणों के आयुक्तगण तथा नगर विकास न्यासों के सचिव अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ जिला स्तरीय DoIT VC Studio के माध्यम से भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(हृदेश कुमार शर्मा)  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: पीआर/डीएलबी/विजन डॉक्यूमेंट/2023/9620-9964 दिनांक : 11/9/2023

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
9. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ नगरीय निकायों द्वारा समयबद्ध रूप से पालना सुनिश्चित करायें।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
12. सुरक्षित पत्रावली।

  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

## राजस्थान-मिशन 2030

Annexure-I

क्र.सं.	गतिविधि	हाँ / नहीं	विशेष विवरण
01	क्या हितधारकों का चिन्हीकरण कर लिया है।		
02	क्या हितधारकों की सूची मय टेलीफोन नम्बर व एड्रेस लिये गये है।		
03	फेस-टू-फेस सर्वे/IVR सर्वे के संबंध में a. कितने सर्वेयर नियुक्त किये गये है। b. क्या सर्वेयर का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है c. सर्वेयर द्वारा जनकल्याण ऐप के फीडबैक ऑप्शन से प्राप्त सुझावों की संख्या d. क्या सर्वेयर को Physical Format उपलब्ध करवा दिये गये है। (संलग्न) e. सर्वेयर द्वारा Physical Format में प्राप्त सुझावों की संख्या		
04	क्या इन्दिरा रसोई पर QR Code लगवाये जा चुके है।		
05	QR Code के माध्यम से प्राप्त सुझावों की संख्या।		
06	क्या विभागीय उपलब्धियों का ब्यौरा (Presentation) परामर्शदाता/हितधारकों को उपलब्ध करवा दिया गया है अथवा नहीं?		
07	क्या नगरीय विकास न्यास/नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी लगत से Presentation तैयार की जा चुकी है?		
08	क्या 08 सितम्बर, 2023 को आयोजित बैठक का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा चुका है?		
09	क्या हितधारकों को परामर्श/संवाद हेतु निमंत्रण पत्र जारी किया जा चुका है? (प्रारूप संलग्न)		
10	क्या राजस्थान मिशन-2030 के संबंध में Branding की जा चुकी है।		

## राजस्थान मिशन-2030

### सर्वे हेतु प्रश्न (फेस टू फेस के लिए)

1. नाम:
2. जिला:
3. ब्लॉक:
4. लिंग: (महिला / पुरुष / अन्य)
5. आयु: (18 वर्ष तक / 18-25 वर्ष / 25-35 वर्ष / 35-45 वर्ष / 45-60 वर्ष / 60 वर्ष से अधिक)
6. व्यवसाय: (सरकारी नौकरी / निजी क्षेत्र में नौकरी / बिज़नेस / प्रोफेशनल / किसान / श्रमिक / स्वरोज़गार / विद्यार्थी / गृहिणी / अन्य)
7. क्या आपने महंगाई राहत कैम्प में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है? (हां / नहीं)
8. क्या आप ने राजस्थान सरकार की किन्हीं योजनाओं का लाभ उठाया है? (हां / नहीं)
9. श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का नं. 1 राज्य बनाना चाहते हैं, जिसके लिए समाज के विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित करके राज्य का "विजन 2030 दस्तावेज" तैयार किया जा रहा है। राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं?